

राजस्थान सरकार
महिला एवं बाल विकास विभाग

क्रमांक प.15(17)म.बा.वि./2018

जयपुर, दिनांक 04.10.2018

आदेश

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के नियम-38 के अन्तर्गत मैसर्स रुबी एलकेयर सर्विसेस प्रा.लि., पिम्परी, पुणे द्वारा दिनांक 27.09.2018 को प्रस्तुत प्रथम अपील क्रमांक 02/2018 का निपटारा लम्बित रहने तक, उक्त अधिनियम के नियम-39 में प्रदत्त शक्तियों के तहत, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएँ, जयपुर की ऑन लाईन ई-निविदा क्रमांक एफ 6(781)स्टोर/मेडिसिन किट/आईसीडीएस/2018-19/164127 दिनांक 11.09.2018 द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु मेडिसिन किट क्रय करने हेतु जारी की गई उक्त ई-निविदा संख्या 5/2018-19 की समस्त क्रय प्रक्रिया को आगामी आदेशों तक तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थगित किया जाता है।


राज्यपाल की आज्ञा से,


(रोली सिंह)

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
एवं प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज0, जयपुर।
2. निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएँ, 2, जलपथ, गांधीनगर, जयपुर को उक्त स्थगन आदेश की पालनार्थ एवं उक्त स्थगन आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
3. अतिरिक्त निदेशक एवं अध्यक्ष, उपापन समिति, समेकित बाल विकास सेवाएँ, 2, जलपथ, गांधीनगर, जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, समेकित बाल विकास सेवाएँ, 2, जलपथ, गांधीनगर, जयपुर।
5. मैसर्स रुबी एलकेयर सर्विसेस प्रा.लि., यशवंतराव चव्हान मैमोरियल हॉस्पिटल, प्रथम तल, एस. नं. 173, 174, संत तुकाराम नगर, पिम्परी, पुणे-411018 (email. admin.vcm@rubycare.in)।
6. श्री भवानी शंकर शर्मा, (प्रतिनिधि अपीलार्थी) सेवा निवृत्त मुख्य लेखा अधिकारी, राजस्थान सरकार, 12 तालकटोरा, जयपुर (मो.नं.-9414047422)।


(एन.एल.जेवरिया)
वरिष्ठ शासन उप सचिव